कंप्यूटर पर ई–मेल तथा ई–फाइलों में हिंदी का प्रयोग विषय पर हिंदी कार्यशाला

भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम प्रकाशित किया जाता है, जिसमें राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लेख किया जाता है साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों व उपक्रमों, निकायों तथा संस्थानों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन व प्रचार-प्रसार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ईपीआई, कॉर्पोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला के माध्यम से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 मई, 2025 शुक्रवार को कंप्यूटर पर ई–मेल तथा ई–फाइलों में हिंदी का प्रयोग विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन अपराह्न 2.00 बजे से 5.00 बजे तक स्कोप काम्प्लैक्स, कोर-3, लोधी रोड स्थित, चौथी मंजिल के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि वक्ता माननीय श्री केवल कृष्ण, पूर्व निदेशक तकनीकी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी में ई–मेल तथा ई–फाइलों में हिंदी का प्रयोग करने तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कार्य करने से संबंधित जानकारी प्रदान की तथा टाइपिंग कार्य में कठिनाई आने पर प्रतिभागियों को हिंदी प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए कहा।

कार्यक्रम का संचालन डॉ.मनीष शंकरराव गवई, प्रबंधक (राजभाषा), सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने किया। इस कार्यशाला में कुल 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राजभाषा प्रभाग की ओर से कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को हिंदी संदर्भ साहित्य प्रदान किया गया। यह कार्यशाला अध्यक्ष, रा.का.सं. माननीय श्री शम्सुल हसन, समूह महा प्रबंधक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यशाला में आमंत्रित अतिथि वक्ता, प्रतिभागियों, अन्य कर्मचारियों के लिए जलपान तथा भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम की व्यवस्था श्रीमती तबस्सुम खान, कार्यकारी (एस.जी.) राजभाषा ने की।

– राजभाषा अनुभाग

wintex